

शिक्षण शुल्क में छूट प्राप्त करने के लिए प्रमाण-पत्र का प्रारूप  
(Certificate for exemption in tuition fees)

- (यह प्रमाण-पत्र आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्ट करते समय प्रस्तुत किया जाना है।)
- हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को चाहिए कि जो लागू न होता हो उसे काट दे।
- प्रार्थनापत्र अपूर्ण होने पर शुल्क में छूट नहीं दी जायेगी
- उपरोक्त प्रमाण-पत्र छात्र/छात्रा को द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के आरम्भ में भी देना होगा।)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
के पिता/माता, श्री/श्रीमती .....  
(राज्य कर्मचारी का नाम)

1. राजस्थान सरकार का कर्मचारी है ।
2. राजस्थान सरकार का कर्मचारी है परन्तु मेरे अधीन डेपुटेशन पर कार्य कर रहा है ।
3. राजस्थान सशस्त्र दल (R.A.C.) जो राजस्थान के बाहर नियुक्त है -का कर्मचारी है ।
4. भूतपूर्व सैनिक (Ex-Service man) है जो -  
(अ) स्थायी रूप से अपाहिज है ।  
(ब) नेफा/लद्दाख/पाकिस्तान सीमा युद्ध के परिणाम स्वरूप मारा गया ।

तथा वह मेरे अधीन .....पद पर कार्य  
कर रहा है/था/ तथा इनके द्वारा कोई आयकर नहीं दिया जाता है ।

इनका मूल वेतन ..... मंहगाई वेतन .....  
अतिरिक्त मंहगाई भत्ता ..... अन्तरिम राहत .....  
मकान किराया ..... योग ..... प्रतिमाह, वेतन श्रृंखला .....  
में है तथा आगामी वेतन वृद्धि दिनांक ..... है ।

हस्ताक्षर  
विभागाध्यक्ष अथवा राजपत्रित नियंत्रण अधिकारी  
(Head of Dept. or Gazetted Controlling Officer)  
(पद व कार्यालय की मुहर)

मैं सत्यनिष्ठा से शपथपूर्वक घोषित करता हूं कि .....  
मेरा पुत्र/पुत्री/भाई/बहिन अविवाहित है तथा पूर्णतया मुझ पर आश्रित है ।

राज्य कर्मचारी के हस्ताक्षर

राज्य कर्मचारी पर आश्रित भाई/बहिन के लिये  
शिक्षण शुल्क में छूट प्राप्त करने के लिए प्रमाण-पत्र का प्रारूप  
(Certificate for exemption in tuition fees)

- अगर अभ्यर्थी राज्य कर्मचारी का भाई/बहिन है तो निम्न प्रारूप का उपयोग करें।
- प्रार्थनापत्र अपूर्ण होने पर शुल्क में छूट नहीं दी जायेगी।
- जो लागू न हो उसे काट देवे।

मैं.....पुत्र श्री.....  
सत्यनिष्ठा से शपथ कर बयान करता हूं कि मेरा भाई/बहिन.....  
पुत्र/पुत्री ..... अविवाहित है, वित्तीय-खर्च के लिये पूर्णतया मुझ पर आश्रित है।  
मेरे पिता जीवित नहीं है/मेरे पिता.....वर्ष के वृद्ध है और उनकी कुल आय सब स्रोतों से  
शून्य है/मेरे पिता अंधे / पागल या अशक्त है और कुछ भी कमाने में असमर्थ है ।

हस्ताक्षर  
राज्य कर्मचारी  
(अभ्यर्थी द्वारा प्रमाणित)

श्री.....मेरे अधीन .....  
.....पद पर कार्य कर रहा है/था/ तथा इनके द्वारा कोई आयकर नहीं दिया जाता है।

इनका मूल वेतन ..... मंहगाई वेतन .....  
अतिरिक्त मंहगाई भत्ता ..... अन्तरिम राहत .....  
मकान किराया ..... योग ..... प्रतिमाह, वेतन श्रृंखला .....  
में है तथा आगामी वेतन वृद्धि दिनांक ..... है ।

हस्ताक्षर  
विभागाध्यक्ष अथवा राजपत्रित नियंत्रण अधिकारी  
(Head of Dept. or Gazetted Controlling Officer)  
(पद व कार्यालय की मुहर)

**Government of Rajasthan**

(Name &amp; Address of the authority issuing the certificate)

INCOME &amp; ASSEST CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Certificate No.

Date

## VALID FOR THE YEAR

This is to certify that Shri/Smt./Kumari.....son/daughter/wife of .....permanent resident of .....Village/Street.....Post Office..... District..... in the State/Union Territory.....Pin Code....."whose photograph is attested below belongs to Economically Weaker Sections, since the gross annual income\* of his/her family \*\*\*is below Rs.800,000/-(Rupees Eight Lakh only) for the financial year.....His/her family does not own or possess any of the following assets\*\*\*:

- I. 5 acres of agricultural land and above;
- II. Residential flat of 1000 sq.ft.and above;
- III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
- IV. Residential plot of 200 sq.yards and above in areas other than the notified municipalities.

2. Shri/Smt./Kumari.....belongs to the .....caste which is not recognized as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (Central/State List).

**This certificate is recognized for both Centre/State of Rajasthan.**

Recent  
Passport size  
attested  
photograph of  
the applicant

Signature with seal of DM/ADM/SDM/Tehsildar

Office.....

Name.....

Designation.....

*(This certificate must be signed by an Officer not below the rank of District Magistrate/ Additional District Magistrate/ Sub Divisional Magistrate/Tehsildar of the District/Sub Division/ Tehsil of which the candidate is a resident)*

\* Note 1: Income coverd all sources i.e. salary, agriculture, business, profession etc.

\*\*Note 2. The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/hers parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years

\*\*\*Note 3 : The property held by a "Family" in different locations or different places cities have been clubbed while applying the land or property holding test of determine EWS status.

Note 4: This certificate is in relation both (a) office memorandum number 36039/1/2019&ESTT (RES) date 31.01.2019 & F NO.12-4/2019 U1 date 17.01.2019 issued by department of personnel and Training, Ministry of Personnel, public grievances and pensions, and Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development. (b) F7/1/DOP/A-II/2019 date 19.02.2019 and F 7/1DOP/A-II/2019 dated 22.02.2019 issued by Department of personnel, Government of Rajasthan.

**CERTIFICATE TO BE SUBMITTED BY DEPENDENT OF DEFENCE PERSONNEL  
(To be attached with application form)**

No.: .....

Date: .....

I .....certify that

(Service No. Rank &amp; Name of the Certifying Officer)

..... who is

(Service No. Rank &amp; Name of defence personnel)

natural father/mother/husband of ..... is/was Defence Person

(Name of Applicant)

His/Her particulars are as follows:

1. Service No., Rank and Name of the person .....
2. Name of the Unit last Served .....
3. Date of enrolment ..... Date of death/discharge/retirement .....
4. He/She is/was ex-serviceman of Rajasthan origin and his/her home town as given by him/her at the time of his/her entry into service is .....
5. His/Her Registration/Identity Card No. is ..... dated ..... and P.P.O. No. is .....

**Category of defense persons for priority :**

(Tick (✓) which every is applicable and strike off whichever is not applicable)

**Priority I :** Widows/Wards of Defence Personnel killed in action.**Yes | No****Priority II :** Wards of disabled in action and boarded out from service. Yes | No**Priority III :** Widows/Wards of Defence personnel who died while in service with death attributable to military service. Yes | No**Priority IV :** Wards of disabled in service and boarded out with disability attributable to military service. Yes | No**Priority V :** Wards of Ex-Servicemen and serving personnel who are in receipt of Gallantry Awards : Yes | No

**i.** Param Vir Chakra      **ii.** Ashok Chakra      **iii.** Maha Vir Chakra      **iv.** Kirti Chakra      **v.** Vir Chakra  
**vi.** Shaurya Chakra      **vii.** Sena, Nau Sena, Vayu Sena Medal      **viii.** Mention-in-Despatches.

**Priority VI :** Wards of Ex-Servicemen Yes | No**Priority VII : Wives of :** Yes | No**i)** defence personnel disabled in action and boarded out from service.**ii)** defence personnel disabled in service and boarded out with disability attributable to military service.**iii)** ex-servicemen and service personnel who are in receipt of Gallantry Awards.**Priority VIII :** Wards of Serving Personnel. Yes | No**Priority IX :** Wives of Serving Personnel. Yes | No

Signature \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Seal of Officer

District Soldier Welfare Officer/ Commanding Officer

Name of District / Unit Number \_\_\_\_\_

**NOTE:**

1. Strikeout whichever is not applicable.
2. Definition of Ex-serviceman shall be as per Hand Book on Resettlement of Ex-servicemen (1995).
3. The domicile requirement for the ward of the Defence personnel from the State of Rajasthan but serving in other State is waived off for wards of Defence personnel from other States but serving in the State of Rajasthan. The domicile condition is waived off to enable them to appear in the entrance test and be selected in general quota. However, they would not be eligible for the above mentioned concessions.
4. 50% of the reserved seats will be earmarked for the girls. In case of non-utilization by girls, the unutilized vacancies would revert back to the boys category.
5. Defence personnel should be of Rajasthan origin. The state of origin and the home town as entered in the discharge certificate/record shall only be accepted as proof in respect of above.
6. **Copies of discharge certificate and P.P.O. should be submitted with the application and originals should be brought at the time of manual counseling.**

**Certificate regarding Scheduled Caste/ Scheduled Tribe/ Non Creamy Layer OBC/  
Non Creamy Layer MBC**

(This format is to be used with application form if the certificate issued by competent authority is not available  
इस प्रारूप का उपयोग तभी किया जावे यदि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाण पत्र पूर्व से आवेदक के  
पास नहीं हो)

No: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

I \_\_\_\_\_  
(Name of the District Magistrate/ Addl. District Magistrate/ S.D.M./ Tehsildar)

certify that Shri/ Ku. \_\_\_\_\_ is the natural born (not adopted)

son/daughter of Shri \_\_\_\_\_ and belongs to Scheduled Caste/

Scheduled Tribe/ Non-Creamy Layer OBC/ Non-Creamy Layer MBC\*

\_\_\_\_\_ (Name of the caste) by birth as notified under Presidential

Order for the State of Rajasthan in \_\_\_\_\_ (village/tehsil) District

\_\_\_\_\_.

Court Seal :

Date:

Signature of the District Magistrate  
ADM/SDM/Tehsildar

*(This certificate must be signed by an Officer not below the rank of District Magistrate/ Additional District Magistrate/ Sub Divisional Magistrate/ Tehsildar of the District/Sub Division/Tehsil of which the candidate is a resident)*

- \* अन्य पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग के नॉन क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों हेतु निर्धारित प्रमाण पत्र यदि प्रारम्भिक तिथि से एक वर्ष से पुराना हो तो निर्धारित प्रमाण पत्र के साथ परिशिष्ट-VI में निर्धारित आय प्रमाण पत्र का प्रारूप प्रस्तुत करना होगा।

नोंन किमीलेयर सम्बन्धी  
शपथ—पत्र

आवेदक का आधार नम्बर.....

आवेदक/परिवार के मुखिया का भामाशाह कार्ड संख्या.....

में.....पुत्र/पुत्री श्री.....

निवासी.....

गांव/षहर.....तहसील.....जिला.....

राजस्थान का/की हूँ। मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि:-

1. मैं राजस्थान के पिछड़े वर्ग की अधिकृत सूची दिनांक 17.8.1993 में सम्मिलित वर्ग अन्य/अति पिछड़ा वर्ग की जाति.....का/की सदस्य हूँ।
2. मेरे माता/पिता राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.9.1993 के साथ उपाबद्ध अनुसूचित के स्तम्भ 3 में उल्लेखित संवैधानिक पद केन्द्रिय व राज्य सेवाओं के समूह क वर्ग-1, समूह ख वर्ग-2 के अधिकारी तथा भारतीय स्थल/जल/वायु सेवा के कर्नल के समान पदों पर नहीं हैं/नहीं थे।
3. मेरे माता/पिता सरकारी/निजी क्षेत्र में.....पद पर कार्यरत है/थे।
4. मेरे माता/पिता की समस्त स्त्रोतों से मासिक आय.....रूपये हैं।
5. मैं उपरोक्त प्रकरणों की साक्ष्य हेतु आवश्यक प्रमाण/साक्ष्य उपलब्ध कराने को तैयार हूँ।
6. मैं और मेरा परिवार अन्य राज्य से राजस्थान राज्य में माईग्रेट (विस्थापित) होकर नहीं आये है।
7. कि मैंने किसी भी जिले/प्रदेश से जाति का प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं सत्यापित करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त विशिष्टिया मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं, और मैं अन्य/अति पिछड़े वर्गों की किमीलेयर का हूँ/नहीं हूँ और अन्य/अति पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पदों के लिए विचार किये जाने का पात्र हूँ। चयन के पूर्व या पश्चात् किसी भी सूचना के मिथ्या या गलत पाये जाने की दशा में या अपात्रता का पता चलने पर, मेरी अभ्यर्थता/प्रवेश रद्द कर दी जावेगी और मैं ऐसी समस्त कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होऊंगा/ होऊंगी जो विधि और नियमों के उपलब्धित की जावेगी।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

(अभिशांषा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर)

(नोट:- उत्तरदायी व्यक्ति से आशय संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य/जिला प्रमुख/प्रधान/जिला परिषद  
/सदस्य/ संरपच/ राजकीय अधिकारी/राजकीय कर्मचारी से है।)

**प्रव्रजन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने बाबत घोषणा पत्र**

(संस्था में पंजीकरण/ नामांकन के समय प्रस्तुत किया जावे)

मैं ..... (विद्यार्थी का नाम)

पुत्र/पुत्री श्री .....(पिता का नाम) यह घोषणा करता/करती हूँ कि :-

1. \* मैं ..... (परीक्षा का नाम) की पूरक परीक्षा सत्र 2020-21 में सम्मिलित होने के कारण प्रव्रजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) प्रस्तुत करने में असमर्थ हूँ। मैं प्रव्रजन प्रमाण पत्र उपरोक्त पूरक परीक्षा का परिणाम घोषित होने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के अन्दर प्रधानाचार्य को प्रस्तुत कर दूंगा/दूंगी।  
अथवा  
\* मैं अपरिहार्य कारणों से पंजीकरण के समय प्रव्रजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) प्रस्तुत करने में असमर्थ हूँ। मैं प्रव्रजन प्रमाण पत्र संस्थान के प्रधानाचार्य को पंजीकरण प्रारम्भ होने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के अन्दर प्रस्तुत कर दूंगा/दूंगी।
2. उपरोक्तानुसार प्रव्रजन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाने की स्थिति में यदि मेरा प्रवेश निरस्त हो जाता है तो इसके लिये मैं स्वयं जिम्मेदार होऊंगा/होऊंगी।
3. उपरोक्तानुसार मेरा प्रवेश निरस्त हो जाने पर मैं किसी प्रकार के लाभ का हकदार नहीं होऊंगा/होऊंगी। ऐसी स्थिति में किसी प्रकार की, कोई भी कानूनी कार्यवाही करने का मुझे कोई अधिकार नहीं होगा तथा मैं किसी प्रकार के शुल्क वापस पाने का हकदार भी नहीं होऊंगा/होऊंगी।

स्थान : .....

दिनांक : .....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर .....

पूरा नाम .....

पता .....

.....  
(अभ्यर्थी द्वारा प्रमाणित किया जावे)

नाम व उपनाम में अन्तर होने बाबत् शपथ पत्र का प्रारूप

(आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जावे)

मैं ..... (नाम) पुत्र/पुत्री श्री .....  
... (पिता का नाम) आयु ..... जाति ..... निवासी .....  
..... शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि:-

1. मेरा नाम व उपनाम मेरे पढाई के दस्तावेजों व जाति सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों में .....  
(नाम जैसा कि प्रमाण पत्रों में लिखा है) लिखा हुआ है लेकिन वास्तविकता में मेरा नाम ....  
..... (जैसा अंकतालिका में अंकित है) होना चाहिये जो अधूरा लिखा  
हुआ है।

सत्यापन

मैं अपने प्रार्थनापत्र की मद सं. 1 को अपनी निजी जानकारी में सही व सत्य होना स्वीकार  
करता/करती हूँ। ईश्वर मेरी मदद करे।

स्थान : .....

दिनांक : .....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर .....

पूरा नाम .....

पता .....

.....

.....

(अभ्यर्थी द्वारा प्रमाणित किया जावे)



(नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प रु. 100/-)

**शपथ-पत्र**

(एकल महिला (विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा/35 वर्ष से ज्यादा उम्र की अविवाहिता) के आश्रितों को डिप्लोमा प्रथम वर्ष प्रवेश में आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिए आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने हेतु।)

**मैं शपथ पूर्वक घोषणा करती हूँ कि:-**

1. मैं श्रीमती/सुश्री.....(एकल महिला का नाम) पुत्री/पत्नी श्री.....(पिता/पति का नाम) निवासी (ग्राम/शहर).....जिला .....राज्य.....की मूल निवासी हूँ।
2. यह है कि मेरे पुत्र/पुत्री/आश्रित श्री/सुश्री.....(अभ्यर्थी का नाम ) ने राज्य सरकार तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान द्वारा (राजकीय सह शिक्षा/निजी सह शिक्षा/महिला) पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में संचालित डिप्लोमा इंजिनियरिंग पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष सत्र.....के प्रवेश में एकल महिला आश्रितों के लिए निर्धारित आरक्षित स्थानों पर प्रवेश हेतु ONLINE आवेदन किया है।
3. यह है कि मैं एकल महिला (विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा/अविवाहिता).....आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आती हूँ।  
(बिन्दु सं. 04 में जो लागू हो उस पर सही का निशान लगावें)
4. यह है कि:-  
(1) मैंने पुनर्विवाह नहीं किया है।( )  
अथवा  
(2) मैं वर्तमान में 35 वर्ष की आयु के पश्चात भी अविवाहिता हूँ।( )
5. यह है कि अभ्यर्थी श्री/सुश्री.....पूर्ण रूप से मेरे पर निर्भर एवं आश्रित है एवं मेरे स्वयं के अलावा अभ्यर्थी का भरण पोषण करने का अन्य स्रोत नहीं है।
6. यह है कि उपरोक्त समस्त तथ्य मेरी जानकारी में सही व सत्य है, इसमें किसी प्रकार के साक्ष्य या तथ्य छुपाये नहीं गये हैं। अभ्यर्थी के प्रवेश के पश्चात भविष्य में यदि उपरोक्त के अलावा कोई अन्य तथ्य उजागर होता है जिसके कारण मेरे पर पूर्णतया आश्रित अभ्यर्थी की पात्रता रद्द होती है तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगी।

(हस्ताक्षर गवाह)

(हस्ताक्षर नोटेरी पब्लिक)

(हस्ताक्षर शपथकर्ता)